तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अफसर
03/01/22	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान फोलो अप शिविर गोलिया खेतमाल पेश हुई। TDR रिपोर्ट दिनांक 29/9/21 को प्राप्त हुई, रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गयी। दोनों पक्षों के वकील उप०। बहस हेतु अवसर चाहते हैं। अवसर दिया जाकर पत्रावली फोलोअप शिविर नगर दिनांक 7/1/22 को पेश हो (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी
7/1/22	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 12/1/22 को पेश हो।
12/01/22	पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस है कि प्रतिवादी अपने हक हिस्से की भूमि के अधिक भूमि पर व सड़क की तरफ भूमि पर कब्जा करने पर उतारू है जिससे इस वाद के निस्तारण तक प्रतिवादी को निषेधाज्ञा से पाबन्द रखा जावे। इसके विपरीत वकील विपक्षी की बहस है कि विपक्षी व प्रार्थी अपने-अपने 1/2-1/2 हक हिस्से की भूमि में काश्त करते हैं तथा तहसीलदार की रिपोर्ट से भी प्रार्थी व विपक्षी का आपसी बंटवारा कर 1/2-1/2 हिस्से [illegible] काश्त होना प्रमाणित है [illegible] हिस्से में [illegible] होना [illegible] पर विपक्षी विद्युत कनेक्शन होना (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:15:10 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
चाहता है, 12 वर्षों के बाद बिजली का कृषि कनेक्शन स्वीकृत हुआ है जिसे रुकवाने मात्र के लिए उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर विपक्षी विधिविरुद्ध निषेधाज्ञा जारी करवाई गई है जबकि प्रार्थी व विपक्षी अपने-अपने हक की भूमि के काबिज हैं तथा प्रार्थी व विपक्षी उक्त आराजी के सह-खातेदार है तथा रेकॉर्ड खातेदार व सहखातेदार के खिलाफ स्थगन जारी किया जाकर उसके कब्जे काश्त व भूमि की मन उपयोग को से रोका जाना न्यायोचित नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा विद्युत कनेक्शन रोकने की बदनीयत से प्राप्त निषेधाज्ञा खारिज की जाकर या विपक्षी को विद्युत कनेक्शन हेतु स्थगन से छूट प्रदान की जावे। बहस दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड एवं तहसीलदार गुड़ामालानी से प्राप्त [illegible] रिपोर्ट का गहराई से [illegible] अध्ययन किया। प्रार्थी व विपक्षी विवादित आराजी के सह खातेदार हैं। प्रार्थी द्वारा भी अपने सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:15:10 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है कि प्रार्थी व विपक्षी आधा-आधा 1/2-1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज है तथा कृषि कुए से बारी-बारी से फसल को पानी पिलाने के उपयोग में लेते है तहसीलदार गुड़ामालानी की मौका रिपोर्ट क्रमांक 2157 दिनांक 28/09/21 में यह स्पष्ट किया है कि प्रार्थी व विपक्षी 1/2-1/2 हिस्से के खातेदार है तथा इसी हिस्से अनुसार आपसी बंटवारा कर काबिज काश्त है। विपक्षी के हिस्से में ही कृषि कुआ बना है जिससे विपक्षी ~~[illegible]~~ विद्युत कनेक्शन लेना चाहता है। चूंकि तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार विपक्षी व प्रार्थी आधा-आधा 1/2-1/2 हिस्से की भूमि में काबिज काश्त है तथा विपक्षी के कब्जा काश्त की 1/2 हिस्से की भूमि में कृषि कुआ बने हुए ~~[illegible]~~ होने स्थिति में सहखातेदार के विरुद्ध स्थगन बनाए रखना न्यायालय उचित नहीं समझती है। तनाजे का निस्तारण वाद पत्र से तय होना है एक रेकॉर्ड खातेदार के खिलाफ स्थगन बनाए रखना उचित प्रतीत नहीं होने से यह न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 16/7/20 निरस्त की जाकर [illegible] प्रार्थना पत्र निस्तारित [illegible] कर खारिज [illegible] विविध स्वीकार होकर मूल [illegible] के साथ नत्थी हो।
	(signature) सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

36/20
7/8/20

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:15:10 IST
Reason: SelfAttested

कोर्ट
14/7/20

|| श्री ||

सेवामें,

श्रीमान् सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) महोदय,
गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

प्रार्थी :–

1. सोनाराम पुत्र मेहराजराम उम्र 58 वर्ष जाति जाट निवासी मालपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. राऊराम पुत्र मेहराजराम उम्र 56 वर्ष जाति जाट निवासी मालपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
2. तहसीलदार गुड़ामालानी।

राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0 का0 अधि0 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सी पी सी वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने।

महोदयजी,

प्रार्थी का आवेदन पत्र निम्नानुसार हैं :–

1. कि प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता पाने हेतु श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है।

2. यह है कि तहसील गुड़ामालानी के पटवार मण्डल मालपुरा के राजस्व ग्राम मालपुरा में खसरा नम्बर 40 रकबा 0–08 बीघा किस्म गैर मुमकिन, खसरा नम्बर 42 रकबा 129 बीघा किस्म बारानी दोयम की संयुक्त खातेदारी भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 की आई हुई है, जिसमें प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 के पूर्वज मेहराजराम ने अपने नाम से कृषि विद्युत कनेक्शन लेकर कुँआ खुदवाया हुआ था, जिससे प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 के पूर्वज मेहराजराम पुत्र ... खेती किया करते थे। मेहराजराम का स्वर्गवास होने के पश्चात् प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 बारी–बारी से खेती करते आ रहे है। नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रैस व विद्युत बिल की प्रति साथ प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:45:10 IST
Reason: SelfAttested

(अधिवक्ता प्रार्थी) सोनाराम
(प्रार्थी) जाट